

नोटिस

सभी सम्बन्धित को इस नोटिस के माध्यम से अवगत कराया जाता है कि दिनांक 20.09.2002 को तत्कालीन कार्यालय परिवहन आयुक्त, हरियाणा दो भागों अर्थात् रेगुलेटरी विंग (राज्य परिवहन नियंत्रक) तथा कमर्शियल विंग (परिवहन आयुक्त) में विभाजित हुआ। वर्ष 2002 में रेगुलेटरी विंग की स्थापना के समय इस विंग के कार्य को सुचारु रूप से चलाने हेतु विभिन्न वर्गों के 49 पद कॉमन काडर से स्थानान्तरित किए गए। परंतु अब तक दोनों विभागों को कॉमन काडर के दिए गए पदों के अनुसार कर्मचारियों का विभाजन नहीं हुआ है। अब सरकार ने निर्णय लिया है कि उपरोक्त वर्णित स्थिति अनुसार दिनांक 01.03.2003 की स्थिति के अनुसार स्टाफ का विभाजन कर दिया जाए। स्टाफ का विभाजन सम्बन्धित वर्ग की वरिष्ठता सुचि के अनुसार किया जाएगा। कर्मचारियों का बंटवारा निम्न प्रक्रिया के अनुसार किया जाना है:-

1. केवल कॉमन काडर अर्थात् अधीक्षक, उप अधीक्षक, सहायक सचिव, निजी सहायक, सांख्यिकीय सहायक, वरिष्ठ लेखाकार, सहायक लेखाकार, जूनियर आडिटर, उप परिवहन निरीक्षक, सिनियर स्केल स्टैनोग्राफर, जूनियर स्केल स्टैनोग्राफर, स्टैनो टाईपिस्ट, लिपिक, स्टाफ कार चालक, सेवादार, चौकीदार तथा सफाई कर्मचारी के पदों पर दोनों विभागों में कार्यरत कर्मचारियों का विभाजन किया जाना है।
2. प्रत्येक पद के लिए पहले किस विभाग को कर्मचारी दिया जाना है, का निर्णय ज़ा आफ लाटस के द्वारा किया जाएगा।
3. कर्मचारियों का बंटवारा दोनों विभागों को आबंटित किए गए पदों की संख्या के अनुपात में किया जाएगा।
4. अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण के प्रावधानों का पालन किया जाएगा।
5. कर्मचारियों के विभाजन की प्रक्रिया वरिष्ठता सम्बन्धित मुद्दों के निपटान के अधीन होगी।

विभाजन की कार्यवाही प्रधान सचिव, परिवहन की अध्यक्षता में कमेटी रूम, दिनांक 17.05.2013 को प्रातः 11.30 बजे 6वां तल, नया सचिवालय, नजदीक बस स्टैंड, सैक्टर-17, चण्डीगढ़ में होगी।

दिनांक: 14.05.2013

अरुण कुमार,
महानिदेशक, राज्य परिवहन
हरियाणा, चण्डीगढ़।

पृ० क्रमांक


3835-60

/ईए1/ई1

दिनांक: 14-5-13

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार परिवहन विभाग।
2. सभी अधिकारी कार्यालय महानिदेशक राज्य परिवहन एवं परिवहन आयुक्त हरियाणा।
3. सभी सचिव, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण, हरियाणा राज्य को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
4. प्रधान, हरियाणा परिवहन स्टाफ वेलफेयर एसोसिएशन 30 बेज बिल्डिंग, सैक्टर-17, चण्डीगढ़।
5. वेबसाईट - कार्यालय DG & TC
6. मुख्यालय के सभी नोटिस बोर्ड।


कृते: महानिदेशक, राज्य परिवहन
हरियाणा, चण्डीगढ़।